संख्या-36033/3/2004-स्था.(आरक्षण).

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 14 अक्टूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तद्नुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतदद्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं ।
		(ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400.

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित